न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 01 / 2016

प्रार्थी–
धूड़ाराम पुत्र हीराराम जाति जाट
निवासी गोल स्टेशन ग्राम पंचायत
गोल स्टेशन पं.स. बालोतरा जिला
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. ग्राम पंचायत गोल स्टेशन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन पं0 स0 बालोतरा जिला बाड़मेर
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गोल स्टेशन जरिये व्यवस्थापक

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम वास्ते ग्राम पंचायत गोल स्टेशन के प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 20.04.14 के तहत जारी आवंटन विलेख संख्या 25 दिनांक 27.10.14 जो विप्रार्थी सं. 02 के पक्ष मे निष्पादित किया गया, को निरस्त करने।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09 / 07 / 2019

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आवंटन विलेख सं. 25 दिनांक 27.10.14 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति गोल स्टेशन द्वारा दिनांक 19.01.2013 को एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत गोल स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति गोल स्टेशन भवन के पास खाली पड़ी भूमि समिति के कब्जे की भूमि का पट्टा जारी करने का समिति की बैठक मे निर्णय लिया गया है, जिसका नजरी नक्शा संलग्न हैं। वर्तमान मे समिति के कब्जे की भूमि पर अतिक्रमियों की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नजर पड़ने लगी है, पास के लोगों द्वारा चीणों व पाट रखकर अतिक्रमण किया जा रहा हैं। अतः नियमानुसार पट्टा जारी करने का श्रम करावें। अप्रार्थी सं. 2 के इस आवेदन पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पत्रावली संधारण कर ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 03 दिनांक 20.04.2014 के अनुसरण मे नियम 158 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आबादी भूमि मे से माप 79.33 वर्गगज का निःशुल्क आवंटन पट्टा सं. 25 दिनांक 27.10.2014 जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत गोल स्टेशन द्वारा ग्राम गोल स्टेशन की आबादी भूमि मे से भूखण्ड बनाकर प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 20.04.2014 के मार्फत आवंटन विलेख (पट्टा) सं. 25 दिनांक 27.10.2014 के मुताबिक 79.33 वर्गगज अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी करने मे अपने निहित अधिकारिता का प्रयोग करने मे अवैध रूप से एवं तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, जो आवंटन विलेख निरस्त करने के काबिल हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थी के करीब 40 वर्ष पुराने कब्जे वाले भूखण्ड का गलत नाप व पड़ौस बताकर प्रश्नगत पट्टा जारी करवाया दिया गया हैं। प्रार्थी का उक्त नजरी नक्शा मे बताये भूखण्ड मे पक्का मकान व 05 दुकानें बनी हुई है जिसमे प्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड की सार्वजनिक नीलामी नहीं करके अपने स्तर पर आवंटन करने का कोई विशेष कारण प्रस्ताव मे अंकित नही किया है, न ही पडौसियों से कोई आपत्ति ली गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 162 मे ग्राम सेवा सहकारी समिति को निःशुल्क आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया हैं। ग्राम पंचायत गोल स्टेशन द्वारा आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्डों की न तो कोई सूची तैयार की और नही सार्वजनिक मार्गों, सड़कों, नालियों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित स्थान का ध्यान रखते हुए नक्शा तैयार किया गया। तत्कालीन सरपंच ने नियमों को नजर अंदाज करते हुए कुछ पंचगणों से मिलकर एवं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंच हरचन्द, राणाराम के मौका निरीक्षण फर्द पर फर्जी हस्ताक्षर कर मनमाने ढंग से आवंटन किया है जो नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि ग्राम पंचायत गोल स्टेशन की बैठक दिनांक 20.04.2014 सरपंच ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मे आयोजित किया जाना वर्णित किया गया है जबकि उक्त बैठक मे गणपूर्ति नही की गई और न ही पंचगणों की उपस्थिति मे प्रस्ताव लिया गया। उक्त प्रस्ताव मे निरीक्षण कमेटी गठन करना बताया हैं जबकि निरीक्षण हेतु किन–किन पंचो को नामित किया गया है, अंकित नही किया गया हैं। इस प्रकार निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट संदिग्ध, अवैध व नियमों के विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने हेतु प्रयुक्त पट्टा बही के संधारण मे भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा सं. 25 दिनांक 27.10.2014 को खारिज करने का आदेश फरमावें।

7. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे पट्टा संख्या 25 दिनांक 27.10.2014 जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम मे अंकित नियमों की पूर्ण पालना की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा अधीन भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का निर्माण नही है बल्कि इस भूमि के पूर्व मे ग्राम पचायत की भूमि पर प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से 4 दुकानों का निर्माण करवाया गया है तथा इनमे विद्युत कनेक्शन अन्यत्र स्थान के पट्टे पर लिया गया हैं। प्रार्थी मूल रूप से ग्राम दुधवा का निवासी है जहां प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि मे दो मंजिला आवासीय मकान बना हुआ हैं। प्रार्थी रेलवे मे नौकरी करता था उस दौरान रेलवे के पास पंचायत की खाली भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया तथा अपने काकाई भाई के सरपंच काल मे षडयंत्र पूर्वक पंचायत की आबादी भूमि को हड़प कर पट्टा संख्या 134/89 प्राप्त कर लिया। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा अधीन भूमि मौके पर खाली है तथा सार्वजनिक रूप से सुविधा को मध्यनजर रखते हुए इस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर जारी किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता या अपूर्णता नही होने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति गोल स्टेशन के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समिति के वर्तमान भवन व भूखण्ड के समीप खाली पड़ी आबादी भूमि पर अतिक्रमण हो जाने की आशंका से समिति कार्यालय मे अपने कार्य के लिये आने वाले ग्राम के निवासियों की सुविधा को देखते हुए आवंटन करने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत गोल स्टेशन की बैठक दिनांक 20.04.2014 के संकल्प संख्या 03 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे 79.33 वर्गगज भूमि का पट्टा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसरण मे पट्टा सं. 25 दिनांक 27.10.2014 जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का संधारण किया गया तथा आवेदित भूखण्ड के मौका निरीक्षण हेतु मौका कमेटी का गठन किया। मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण प्रपत्र एवं नजरी नक्शा तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस दिनांक 20.02.2014 जारी किया गया। इस नोटिस की निर्धारित मयाद अवधि के दौरान कोई उजरदारी प्रस्तुत नही होने पर आगामी बैठक दिनांक 20.04.2014 को पत्रावली निर्णय हेतु रखी गई। ग्राम पंचायत की बैठक मे पारित संकल्प सं. 3 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदित भूखण्ड का आवंटन जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा सं. 25 दिनांक 27.20.2014 जारी किया गया हैं। प्रार्थी का इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य कथन है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा मे आने वाली भूमि पर उसका कब्जा है जो करीब 40 वर्षों से है। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट मे आंशिक कब्जा होना बताया हैं। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति के शपथ पत्र प्रस्तुत करवाये गये है जिसमे उनके द्वारा कथन किया गया हैं कि समिति की ओर से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया हैं। तत्कालीन सरपंच श्री राणाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे उनके द्वारा यह कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन वार्ड पंच राणाराम व हरचंदराम ने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे तथा अंकित हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष मे आलौच्य पट्टाधीन भूखण्ड पर कब्जा एवं स्वामित्व साबित करने हेतु मौखिक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साक्ष्य प्रस्तुत किये है किन्तु इस निरगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं। यदि प्रार्थी इस भूखण्ड पर अपना पुराना कब्जा होने के आधार पर हक–अधिकार होना मानता है तो इसके लिए उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के परिप्रेक्ष्य मे इस प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज निमय, 1996 के नियम 162 के अन्तर्गत जारी किया गया, जो नियमानुसार सरकारी प्रयोजनार्थ आवंटन से सम्बन्धित है तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान नियम 159 मे किया गया है जिसके तहत बाजार कीमत के 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जाना विहित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे निःशुल्क जारी किया गया है जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे आता है, इस आधार पर ग्राम पंचायत गोल स्टेशन की बैठक दिनांक 20.04.2014 के संकल्प सं. 03 एवं उसके अनुसरण मे जारी किया गया पट्टा सं. 25 बहाल रखा जाना विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गोल स्टेशन द्वारा बैठक दिनांक 20.04.2014 के संकल्प सं. 03 एवं उसके अनुसरण मे अप्रार्थी सं. 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति गोल स्टेशन के पक्ष मे जारी पट्टा सं. 25 दिनांक 27.10.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत गोल स्टेशन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि विवादित भूखण्ड के मौका कब्जा की जांच एवं दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न करें।

10. निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर